



पत्र संख्या-पं0नि0 30-08/2015

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक-

विषय:- प्रखंड बिदुपुर ग्राम पंचायत कथौलिया के उप मुखिया, प्रखंड महनार के पहाड़पुर विशनपुर के उप मुखिया, प्रखंड महनार ग्राम पंचायत महिन्दवारा के उप मुखिया, प्रखंड महनार ग्राम पंचायत करनौती के उप मुखिया, प्रखंड राजापाकर ग्राम पंचायत नारायणपुर बुजुर्ग एवं ग्राम पंचायत राजापाकर दक्षिणी के उप मुखिया, प्रखंड देसरी ग्राम पंचायत आजमपुर के उप मुखिया, प्रखंड लालगंज ग्राम पंचायत अनवरपुर के उप मुखिया, प्रखंड महनार ग्राम पंचायत सरमस्तपुर के उप मुखिया, प्रखंड वैशाली ग्राम पंचायत मदरना के उप मुखिया, प्रखंड चेहराकलौ ग्राम पंचायत बस्ती सरसीकन के उप सरपंच, प्रखंड चेहराकलौ ग्राम पंचायत अख्तियारपुर सेहान के उप मुखिया तथा प्रखंड हाजीपुर के ग्राम पंचायत पानापुर लंगा, गौसपुर ईजरा, विशुनपुर बालाधारी, एवं अफजलपुर धोवघट्टी रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 233 दिनांक 27.01.2024, पत्रांक 234 दिनांक 27.01.2024, पत्रांक 227 दिनांक 27.01.2024, पत्रांक 169 दिनांक 01.02.2024, पत्रांक 170 दिनांक 01.02.2024, पत्रांक 279 दिनांक 03.02.2024, पत्रांक 281 दिनांक 03.02.2024, पत्रांक 228 दिनांक 27.01.2024 एवं पत्रांक 278 दिनांक 03.02.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से आयोग को प्रखंड बिदुपुर ग्राम पंचायत कथौलिया के उप मुखिया, प्रखंड महनार के पहाड़पुर विशनपुर के उप मुखिया, प्रखंड महनार ग्राम पंचायत महिन्दवारा के उप मुखिया, प्रखंड महनार ग्राम पंचायत करनौती के उप मुखिया, प्रखंड राजापाकर ग्राम पंचायत नारायणपुर बुजुर्ग एवं ग्राम पंचायत राजापाकर दक्षिणी के उप मुखिया, प्रखंड देसरी ग्राम पंचायत आजमपुर के उप मुखिया, प्रखंड लालगंज ग्राम पंचायत अनवरपुर के उप मुखिया, प्रखंड महनार ग्राम पंचायत सरमस्तपुर के उप मुखिया, प्रखंड वैशाली ग्राम पंचायत मदरना के उप मुखिया, प्रखंड चेहराकलौ ग्राम पंचायत बस्ती सरसीकन के उप सरपंच, प्रखंड चेहराकलौ ग्राम पंचायत अख्तियारपुर सेहान के उप मुखिया तथा प्रखंड हाजीपुर के ग्राम पंचायत पानापुर लंगा, गौसपुर ईजरा, विशुनपुर बालाधारी, एवं अफजलपुर धोवघट्टी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. 2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के अधीन निम्न कार्यक्रम के अनुसार उप मुखिया एवं उप सरपंच का निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है :-

प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी	रिक्त पद का नाम	निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि	सूचना तामिला की तिथि
बिदुपुर	कथौलिया	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
महनार	पहाड़पुर विशनपुर	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
	महिन्दवारा	उप मुखिया	14.03.2024	06.03.2024
	करनौती	उप मुखिया	16.03.2024	08.03.2024
	नारायणपुर बुजुर्ग	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
राजापाकर	राजापाकर दक्षिणी	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
देसरी	आजमपुर	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
लालगंज	अनवरपुर	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
महनार	सरमस्तपुर	उप मुखिया	18.03.2024	10.03.2024
वैशाली	मदरना	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
चेहराकलौ	बस्ती सरसीकन	उप सरपंच	12.03.2024	04.03.2024
	अख्तियारपुर सेहान	उप मुखिया	14.03.2024	06.03.2024
हाजीपुर	पानापुर लंगा	उप मुखिया	12.03.2024	04.03.2024
	गौसपुर ईजरा	उप मुखिया	14.03.2024	06.03.2024
	विशुनपुर बालाधारी	उप मुखिया	16.03.2024	08.03.2024
	अफजलपुर धोवघट्टी	उप मुखिया	18.03.2024	10.03.2024

3. कृपया उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन हेतु दिनांक निर्धारित तिथि तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया एवं उप सरपंच को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 02.03.2024 के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, वैशाली को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन की सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडियोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विशेषासभाजन,
22/2/24

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पटना, दिनांक - 22.2.24

ज्ञापांक पं0नि0 30-08/2015- 7/3/24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं पुलिस अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/2/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।